"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 2 जून 2022 — ज्येष्ठ 12, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 मई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–57/2017/वाक/पांच (51).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**.– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2022 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) सेवा या पद के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है आयुक्त, वाणिज्यिक कर;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है वाणिज्यिक कर आयुक्त, छत्तीसगढ़;

(घ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 एवं 13 के अधीन सेवा में भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(ङ) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ–8–5/25/4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) ''सेवा'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा;

(ठ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना**.– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन**.– इन सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रांरभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; तथा

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि**.– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका**.– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेंगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार में उल्लिखित अनुसार सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति** – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेंगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें (लिपिक वर्गीय सेवा से चयन को छोड़कर)** – सीधी भर्ती हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगीः–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण– शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ञ) किसी भी अभ्यर्थी के लिए उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु, किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी अन्य मामले में, ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **शुल्कः**– (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता**– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा**– (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती (लिपिक वर्गीय सेवा से चयन को छोड़कर)**– (1) सेवा के पदों के लिये प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करें।

(2) परीक्षा, आयोग द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, समय–समय पर जारी करे। आयोग द्वारा, शासन के परामर्श से, भिन्न–भिन्न अथवा एक ही प्रकार की सेवा में सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(3) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पदों को महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जायेगा। आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित वे अभ्यर्थी, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) दिव्यांग व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये पदों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों/नियमों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

12. **आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची**– (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, जनसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **राज्य कर निरीक्षक के पद पर लिपिकीय सेवा से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती**– (1) आयुक्त कार्यालय राज्य कर तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों हेतु राज्य कर निरीक्षक के पदों की रिक्तियों को भरने के लिये, प्रति वर्ष ऐसी तारीख पर, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे, अनुसूची–चार में उल्लिखित योजना के अनुसार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(2) सेवा में भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध एवं इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम उप–नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) समिति, अनुसूची–चार में उल्लिखित मानकों के अनुसार एवं अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार नियुक्ति हेतु उपरोक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों की सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची, इसके अंतिम रूप दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिये विधिमान्य रहेगी।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14. **परिवीक्षा**– (1) सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित रहे तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करे, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो पहले से ही शासकीय सेवा में स्थायी रूप से है, नियम 6 के अधीन सीधी भर्ती/चयन द्वारा राज्य कर निरीक्षक के पद में नियुक्त किया जाता है, तो सेवा या पद में उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के क्रम में, उसे सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा।

(3) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि अधिकतम 1 वर्ष तक के लिये बढ़ायी जा सकेगी।

(4) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

15. **निर्वचन**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

16. **शिथिलीकरण**– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

17. **निरसन एवं व्यावृत्ति**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में बनाये गये नियमों या जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण, छूट तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 4 एव 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स लेवल	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राज्य कर निरीक्षक	174	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा	लेवल–7	कुल पदों की संख्या 174, जिसमें से 139 पद स्थायी तथा 35 पद अस्थायी है।

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1)(क) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	राज्य कर निरीक्षक	174	75% (25% पदों को अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय लिपिकीय सेवाओं से भरा जायेगा)	कुल पदों की संख्या 174, जिसमें से 139 पद स्थायी तथा 35 पद अस्थायी है।

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राज्य कर निरीक्षक	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिये 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिये।	

टीपः– ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार

सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लिपिकीय सेवा से राज्य कर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु योजना

योजना

1. **शीर्षक**– यह योजना, वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय सेवा से राज्य कर निरीक्षक के पद पर चयन के माध्यम से नियुक्ति की योजना कहलायेगी।

2. **पात्रता**– (क) लिपिकीय सेवा के वही अभ्यर्थी पात्र होंगेः–

   (1) जो वाणिज्यिक कर आयुक्त के कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में पिछले पांच वर्षों तक लगातार लिपिकीय सेवा में कार्य कर रहे हों।

   (2) जो अनुसूची–तीन में उल्लिखित राज्य कर निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये विहित शैक्षणिक अर्हतायें पूरी करते हों (अर्थात् मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हों)।

   (3) चयन के वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

   (4) राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र के अनुसार, आरक्षित वर्ग को दी गई सुविधाओं के अनुसार छूट दी जायेगी।

   (ख) लिपिक वर्ग के किसी भी कर्मचारी को, इस योजना के अंतर्गत ली जाने वाली परीक्षा में तीन से अधिक बार उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अधिकतम पांच बार अनुमति होगी।

3. **चयन**– निम्नलिखित के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन किया जायेगाः–

   (क) इस योजना के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को प्राप्त अंक, और

   (ख) अंतिम 5 वर्ष की चरित्रावलियों का मूल्यांकन।

4. **परीक्षा**– (क) प्रत्येक वर्ष नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, लिखित परीक्षा ऐसी तिथियों एवं ऐसे स्थानों में, आयोजित की जायेगी, जैसा कि वह अवधारित करे।

   (ख) लिखित परीक्षा में, प्रत्येक 50 अंक के 2½ घंटे की अवधि के लिये दो प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के प्रक्रम पर चयन के लिए लिखित परीक्षा हेतु विहित न्यूनतम अंकों में 10 प्रतिशत का लाभ दिया जाता है उसी प्रकार यह लाभ सीधी भर्ती पर अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को भी दिया जायेगा एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक से 10 प्रतिशत कम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

   (ग) प्रश्न पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार कराया जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे–

प्रथम प्रश्न पत्र

सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा प्रारंभिक गणित।

द्वितीय प्रश्न पत्र

(1) शासकीय सेवा के सामान्य नियम।

(2) विभाग के विभिन्न अधिनियमों, प्रचलित नियमों, विनियमों एवं उसमें प्रयुक्त शब्दावलियों का ज्ञान।

(3) विभाग की कार्य प्रणाली से संबंधित अधिनियमों, नियमों, उप–विधियों, मैन्युअल इत्यादि का ज्ञान।

(4) संलग्न परिशिष्ट में लिखे गये प्रश्न पत्र हेतु पाठ्यक्रम का विवरण।

(5) वे अभ्यर्थी, परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जो उपर्युक्त पैरा 2 में विनिर्दिष्ट योग्यता पूरी करते हों। परीक्षा में प्रवेश लेने के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के लिये निर्धारित तिथियों से कम से कम एक माह पूर्व आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी, जिनको इस परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र पाया जायेगा, उन्हें परीक्षा की तारीखों, स्थान एवं समय इत्यादि के बारे में सूचना दी जायेगी।

(6) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकित उस विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी, जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों।

5. **(1) चरित्रावलियों का मूल्यांकन एवं चयन की अंतिम सूची**– अभ्यर्थी, जिनका पैरा 4(7) के अंतर्गत तैयार की गई चयन सूची में नाम होगा, उनकी पिछली पांच वर्षों की चरित्रावलियों का मूल्यांकन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा। समिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकित विभाग के निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगेः–

(एक) अध्यक्ष	– अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर
(दो) सदस्य–सचिव	– उपायुक्त (मुख्यालय)
(तीन) सदस्य	– सहायक आयुक्त (मुख्यालय)

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिये 20 अंक में से निम्नलिखित अनुसार अंक दिये जायेंगे, जैसा कि नीचे दर्शित हैः–

उत्कृष्ट	– 20
बहुत अच्छा	– 16
अच्छा	– 12
सामान्य	– 08

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में, जितने अंक प्राप्त हुए हैं, उसके सामने उसकी चरित्रावली के आधार पर प्राप्त अंक लिखे जाएंगे और दोनों अंकों का योग किया जायेगा।

(4) परीक्षा तथा चरित्रावली के मूल्यांकन से प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी, राज्य कर निरीक्षकों के पद हेतु 25 प्रतिशत के विरूद्ध इस सूची में आये नामों के क्रमानुसार नियुक्तियां की जायेंगी।

(5) राज्य कर निरीक्षक के पद में लिपिकीय सेवाओं से नियुक्त किये गये कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता का क्रम ऐसा होगा, जैसा कि अंतिम सूची में दर्शित है।

6. **परिवीक्षा**– इस योजना के अंतर्गत चयनित किये गये प्रत्येक कर्मचारी 02 वर्ष के लिए स्थानापन्न हैसियत से परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में, उस पद का प्रशिक्षण दिया जायेगा और उसे विभागीय परीक्षा, यदि कोई विहित हो, उत्तीर्ण करनी होगी। यदि किसी कर्मचारी को परिवीक्षा काल में राज्य कर निरीक्षक के पद के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया हो, तो उसे उसके पूर्व के लिपिक पद में प्रत्यावर्तन कर दिया जायेगा। लिपिकीय पद पर प्रत्यावर्तन होने पर राज्य कर निरीक्षक के पद में परिवीक्षा अवधि में की गई सेवा को लिपिकीय सेवा में की गई सेवा माना जायेगा।

परिशिष्ट

प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र 1

अधिकतम 50 अंक

(1) सामान्य ज्ञान (15 अंक)

सामयिक घटनाओं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न

(3 प्रश्न)

(2) सामान्य हिन्दी (15 अंक)

10–15 पंक्तियों की संक्षेपिका के आधार पर संक्षिप्त प्रश्न, सामान्य शब्दों के अर्थ एवं उनके विकल्प, किसी विषय पर 150 शब्दों में निबंध।

(3) प्रारम्भिक गणित (20 अंक)

गुणा, भाग, दशमलव प्रणाली, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, औसत क्षेत्रफल, आयतन, औसत अनुपात।

प्रश्न पत्र 2

अधिकतम अंक 50

(1) शासकीय सेवा के नियमों संबंधी सामान्य ज्ञानः

(20 अंक)

मूलभूत नियम, वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, भर्ती नियम के विषय में सामान्य ज्ञान तथा आचरण नियम के बारे में प्रारम्भिक ज्ञान।

(2) विभाग में प्रयुक्त शब्द एवं शब्दावली का ज्ञानः

(10 अंक)

विभाग में सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले विभिन्न शब्द, जिनका उस विभाग में विशिष्ट अर्थ होता है और जिसका ज्ञान विभागीय उपयोग हेतु आवश्यक है।

(3) विभाग से संबंधित नियमों का ज्ञानः

(20 अंक)

विभिन्न अधिनियमों, नियमों इत्यादि का ज्ञान, जिनके विषय में उस विभाग के अंतर्गत कार्य होता है।

अटल नगर, दिनांक 19 मई 2022

क्रमांक एफ 10–57/2017/वाक/पांच (51).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–57/2017/वाक/पांच (51), दिनांक 19–05–2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th May 2022

NOTIFICATION

No. F 10-57 /2017/CT/V(51). — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules to regulate the recruitment and conditions of service to the Chhattisgarh Commercial Tax Class-III (Executive) Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement-** (1) These rules shall be called the Chhattisgarh Commercial Tax Class-III (Executive) Service Recruitment Rules, 2022.
(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions-** In these rules, unless the context otherwise, requires:-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means Commissioner, Commercial Tax;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "Commissioner" means Commercial Tax Commissioner, Chhattisgarh;

(d) "Examination" means the competitive examination conducted for the recruitment to the services under rule 11 and 13 of these rules;

(e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(f) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of the citizens as specified by the State Government from time to time as amended Notification No. F 8-5 /25 / 4-84, dated 26.12.1984;

(h) "Schedule" means schedule appended to these Rules;

(i) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "Service" means Chhattisgarh Commercial Tax Class-III (Executive) Service;

(l) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and extent-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of service-** The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who, at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment-** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through competitive examination;

(b) by limited competitive examination as mentioned in Schedule-IV;

(2) The number of persons recruited under clause (a) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in the Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion in the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of Government, the exigencies of the service so requires, the Government may, with prior concurrence of the Commission, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) The posts filled by direct recruitment shall be filled by the Chhattisgarh Public Service Commission through competitive examinations.

(6) At the time of recruitment to the service, the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and instructions issued, from time to time, under the said Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. Appointment to the service- All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Appointing Authority, and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment (except for selection of service of clerical cadre)- In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe or Other Backward Classes (non creamy layer);

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 years for women candidate in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Special Provisions to the appointment for women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employee of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate who is a permanent Government servant shall not be more than 38 years of age ;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation-The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years before from the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service, namely:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years;

(j) In any case the maximum age for any candidate shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above for any candidates;

(k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination.

(II) Educational qualifications - The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fees: - (A) The candidate must pay the fees as prescribed by the Commission.

(B) The candidate who have been required to appear before medical board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. Disqualification- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority/Commission to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

10. Appointing Authority/Commission's decision about the eligibility of a candidate shall be final- (1) The decision of the Appointing Authority/Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing in the examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission, shall be allowed to appear in the examination/selection.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to notice of the Commission/Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he shall be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission/Appointing Authority.

11. Direct recruitment by competitive examination (excluding selection from clerical cadre)- (1) The competetive examination for the post to the service shall be held at such intervals, as the Appointing Authority, after consultation with the Commission, may from time to time, determine.

(2) The examination shall be held by the Commission in accordance with such orders as may be issued by the Government, after consultation with the Commission, from time to time. Commission shall be held joint competitive examination for direct recruitment in different or similar services in consultation with the Government.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(4) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who are declared eligible for appointment to the service by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per the sub-rule (3) as the case may be.

(7) In such cases, where experience of certain period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(8) The posts shall be reserved for the persons with disabilities/ ex-serviceman candidates as per guidelines/orders/rules of Government from time to time.

12. List of Candidates selected by the Commission- (1) The Commission shall prepare a list, and forward to Appointing Authority, arranged in the order of merit of the candidates, who have qualified by such standards as may be determine by the Commission and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(4) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. Direct Recruitment on the post of State Tax Inspector from Clerical Services through limited Competitive Examination- (1) According to the Scheme mentioned in Scheduled-IV, there shall be held a limited competitive examination every year to fill the vacancies for the posts of State Tax Inspector in the office of Commissioner, State Tax and its subordinate offices on such date, as appointing authority may determine.

(2) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in sub- rule (1) irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) The committee shall prepare a list, and forward to Appointing Authority, of above mentioned candidates for the appointments as per the norms mentioned in Schedule-IV, as per the qualifications of the candidates and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Committee for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall be valid for one year from the date of finalization.

(5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

14. **Probation-** (1) Every person appointed in the service will be appointed on probation for a period of three years. It will be expected from such a person that he is present in such training course and pass departmental examination as may be prescribed by the government.

(2) If a person who is already permanent in government service is appointed under the direct recruitment / selection under rule 6, in the State Tax Inspector, in order to identify his suitability in service or post, he will normally be appointed in officiating capacity for a period of two years.

(3) If the work is not found to be satisfactory, then the appointment authority can extend the probation period of up to a maximum of one year.

(4) Probationary services can be terminated during probation period or during extended period or at the end of the probationary period, if a particular candidate is not found suitable to become an officer in the opinion of the Appointing Authority.

15. **Interpretation-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

16. **Relaxation-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

17. **Repeal and Savings-** (1) All rules corresponding to these rules and rules in force immediately before the commencement of these rules shall hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules, shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the rules made or instruction/orders issued by the State Government from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

SCHEDULE-I
(See rule 4 and 5)

S.No.	Name of posts included in the service	Total number of duty posts	Classification	Pay Matrix Level	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	State Tax Inspector	174	Chhattisgarh Commercial Tax Class-III (Executive) Service	Level- 7	Total number of post 174, out of which 139 posts are permanent and 35 posts are temporary.

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S.No.	Name of the posts included in the service	Total number of duty post	Percentage of number of duty post to be filled in	Remarks
			By direct recruitment [See rule 6(1) (a)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	State Tax Inspector	174	75% (25% posts shall be filled by DepartmentalClerical Services as specified in Schedule IV)	Total number of post 174, out of which 139 posts are permanent and 35 posts are temporary.

SCHEDULE-III
(See rule 8)

S.No.	Name of the Service / post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	State Tax Inspector	21 year	30 years (35 years for local residents of Chhattisgarh State)	Should have graduation degree from any recognized University.	

Note:- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are local resident of the State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE-IV

Scheme for appointment to the post of State Tax Inspector from Clerical Service through a limited Competitive Examination.

SCHEME

1. **Title-** This scheme may be called the scheme for appointment through selection for the post of State Tax Inspector from Clerical Service of the office of the Commercial Tax Commissioner and its subordinate offices through selection.

2. **Eligibility-** (A) Candidates of the Clerical Services shall be eligible:-

   (1) Who is continuously working in the office of the Commissioner, Commercial Tax and its sub-ordinate offices for the last five years in clerical service.

   (2) Who possess the prescribed educational qualification for the direct recruitment on the post of State Tax Inspector mentioned in Schedule-III (meaning is graduated from an recognized University).

   (3) He must not have attained the age more than 45 years on the 1st day of January of the year of selection. The maximum age limit for the Scheduled Castes and Sheduled Tribes shall be 50 years.

   (4) According to the Circular issued by the State Government from time to time, as per the facilities given for the reserved category will be exempted.

   (B) Any employee of the clerical cadre shall not be permitted to appear in the examination taken under this scheme for more than three times. Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be permitted to appear in the examination for maximum five times.

3. **Selection-** Selection for appointment shall be made on the basis of :-

(a) marks obtained by the successful candidate in examination conducted under this Scheme; and

(b) valuation of charactor role of last 5 years.

4. Examination- (a) Written examination shall be conducted by apppointing authority every year, on such dates and at such places as he may determine.

(b) In the written examination, there shall be two papers each of 50 marks for the period of 2½ hours. At least 50% marks in each paper must have to be obtain for being successful in the examination. Scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates are given benefit of 10 percent in the prescribed minimum marks for written examination for selection on the process of direct recruitment, in the same way, the benefit shall be given to the candidates of other backward classes on the direct recruitment and candidates of Other Backward Classes will be required to get 10 percent fewer marks than the minimum scored.

(c) Question Papers shall be prepared by the appointing authority and the following subjects are included:-

First Question Paper

General knowledge, General Hindi and elementary maths.

Second Question Paper

(1) General Rules of Government Service.

(2) Knowledge of various Acts, prevalent rules, regulations and glossary used in the department.

(3) Knowledge of Acts, rules, byelaws, manual etc relating to functioning of the department.

(4) Details of the syllabus for question paper is written in the enclosed annexure.

(5) The candidates who fulfill the qualification specified above in para 2 shall be eligible for admission in the examination. The appointing Authority shall invite applications from the candidates who desire to be admitted in the examination at least a month before from the date fixed for the examination. The candidate who found to be eligible for admission in the examination shall be informed about the date, place and time etc. of the examination.

(6) Answer sheet shall be valuated by the officers of that department nominated by the appointing authority.

(7) List of such candidates who have obtained 50 percent or more marks in each question paper shall be prepared.

5. (1)Valuation of character roles and final list of selection- The departmental Promotion Committee shall evaluate the character roles for the last five years of the candidates whose names exist in the selection list prepared under para 4(7), Committee shall consist the following officers of the department nominated by the Appointing Authority:-

(i)	Chairman	– Additional Commissioner, Commercial Tax
(ii)	Member Secretary	– Deputy Commissioner (Head Quarter)
(iii)	Member	– Assistant Commissioner (Head Quarter)

(2) Out of 20 marks for each year's character role, every candidate shall the given the marks as shown below:-

Outstanding	–	20
Very good	–	16
Good	–	12
Average	–	08

(3) Marks obtained on the basis of valuation of character role shall be written in front of the marks obtained in the written examination by each candidate and both marks shall be added.

(4) The final selection list shall be prepared on the basis of marks obtained in the examination and valuation of character roles; against 25 percent for the post of State Tax Inspector appointment shall be made in order of their names appear in the list.

(5) Order to inter-se-seniority of the employees appointed to the State Tax Inspector post from the Clerical cadre shall be such as shown in the final list.

6. Probation- Every employee selected under this scheme shall be appointed on probation in officiating capacity for 2 years. During the period of probation the training of that post shall be given and he shall have to pass the departmental examination, if any, prescribed. If any employee is not found fit during the period of probation for State Tax Inspector post, he shall be reverted to his previous post of clerical cadre. Service rendered during the probation period of State Tax Inspector post due to reversion on the clerical post shall be counted as service rendered in clerical cadre.

ANNEXURE

Syllabus of Question Paper

Question Paper 1

Max. 50 Marks

(1) General knowledge : (15 Marks)

Current events, History of India, Geography of India and relevant incidents general information regarding to State of Chhatisgarh.

(3 Questions)

(2) General Hindi : (15 Marks)

Short question on precis of 10-15 lines, meaning of general words and that alternatives, essay on any topic in 150 words.

(3) Elementary Maths : (20 Marks)

Multiple, division, decimal system, percentage, profit and loss, average area, volume, ratio proportion.

Question Paper 2

Max. Marks 50

(1) General knowledge relating to Rules of Government Service : (20 Marks)

Fundamental Rule, Pay, allowances, leaves, general provident fund, general knowledge about recruitment rules and primary knowledge about the conduct rules.

(2) Knowledge of words and termology used in the department : (10 Marks)

To mention various words generally used in the department which have specific meaning in the department, knowledge of that words is necessary for departmental use.

(3) Knowledge of rules relating to department : (20 Marks)

Knowledge of the various Acts, rules etc. with which the work in the departmental is carried.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.